COVID-19
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2020/893 दिनांकः 23/7/2020

डॉ. एफ.एस. मेहता,
डीन,
गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड
हॉस्पिटल, एकलिंग पुरा चौराहा,
मनवाखेडा, उदयपुर (राज0)

विषयः– संस्थान को कोविड–19 की जांच करने हेतु अधिकृत करने बाबत्।
संदर्भ :– आपके पत्रांक 8735 दिनांक 10.07.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा दिनांक 10.07.2020 को कोविड–19 की जांच करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके फलस्वरूप आपके संस्थान को कोविड–19 की जांच निम्नलिखित शर्तो एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर करने हेतु अधिकृत किया जाता है –

1. आप द्वारा अंस्पताल में कोविड–19 की जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जायेगी।
2. आप द्वारा कोविड–19 जांच से सम्बन्धित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगें।
3. आप द्वारा कोविड–19 जांच की रिपोर्ट की सूचना निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं की ई–मेल आईडी rajasthan_idsp@yahoo.co.in, rmsc.mnjy@gmail.com, micro.rajinfo@gmail.com पर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर व सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से प्रातःकाल एवं सायंकाल भिजवाई जायेगी।
4. आप द्वारा जांच से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
5. आपके द्वारा कोविड रोगी की जांच से संबंधित समस्त सूचनायें आर.टी.पी.सी.आर. एप एवं एस.आर.एफ. प्रपत्र में अंकित उपरान्त ही जांच की जावेगी।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी की गई है।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2020/893 दिनांकः 23/7/2020

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0 स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, उदयपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
9. प्रभारी–सर्वर रूम को वास्ते ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर